

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

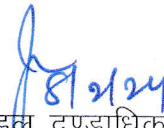
107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – फादर गैब्रियल आइंदबगैरह ।

बनाम

वाद सं0 66/2023

द्वितीय पक्ष – जॉर्ज तोपनो,..... बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 15/2023 दिनांक 14/07/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) फादर गैब्रियल आइंद उम 40 वर्ष संत अलोइस चर्च कुदा (कैथोलिक आर्च विशप ऑफ रॉंची), थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) जॉर्ज तोपनो, (2) बेनेदित तोपनो (3) अनिल तोपनो तीनों के पिता स्व० इग्रेस तोपनो सभी ग्राम कुदा, थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि खाता सं० 48, प्लॉट सं० 259, 260, 261 के जमीन को लेकर विवाद एवं तनाव बना है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। उभय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त, वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	